भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 61
18.11.2019 को उत्तर के लिए

जलवायु आपातकाल की घोषणा

61. श्री संजय सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जलवायु आपातकाल की घोषणा पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है और इसके समाधान के लिए 'समानता' और साझा किंतु विभिन्न उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं' के सिद्धांतों के आधार पर सभी देशों से सहयोग की अपेक्षाएं है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), इसके क्योटो प्रोटोकॉल (केपी) और पेरिस समझौते (पीए) में भारत एक पक्षकार है। महत्वाकांक्षी पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन के समाधान और प्रतिकूल परिणामों से बचने के लिए वैश्विक जांचकर सूची (स्टॉकटेक) और हर 5 वर्ष में इस दिशा में कार्रवाई को और तेज करने की व्यवस्था है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए, यूएनएफसीसीसी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत भारत द्वारा की जा रही कार्रवाई का स्थान सर्वोपरि है। इसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसने यूएनएफसीसीसी, इसके क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के अलावा स्वयं स्वतंत्र, संवर्धित पहल करते हुए जलवायु शमन और अनुकूलन करना जारी रखा है। स्वतंत्र अध्ययनों में पेरिस समझौते के अंतर्गत अपेक्षानुरूप भारत द्वारा किए गए अनुपालन और प्रयासों की अत्यधिक सराहना की गई है।

****